<u>Online perposal no. FP/UP/PIPLINE/152749/2022</u>

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 1593 /मीरजापुर/15,जल जीवन मिशन/दिनांक नवम्बर 30 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
अभाव खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,
मीरजापुर।

विषय– जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत् दॉंती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाईपलाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे0 अर्थात् कुल 0.7694 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयेाग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– 1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय , लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/246/2022/एफ0सी0/701, दिनांक 25.11.2022।

2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ का पत्रांक–1833/11–सी–**FP/UP/PIPLINE/152749/2022**,लखनऊ दिनांक 28.11.2022 ।

महोदय,

जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत् दॉंती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाईपलाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे0 अर्थात् कुल 0.7694 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयेाग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/246/2022/एफ0सी0/701, दिनांक 25.11.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–1833/11–सी–**FP/UP/PIPLINE/152749/2022**,लखनऊ दिनांक 28.11.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा उसमें उल्लिखित **23 शर्तो** के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शर्तो का अनुपालन करते हुये वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रत्येक शर्त के सम्बन्ध में अलग–अलग अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/अण्डरटेकिंग/चालान की प्रति दिनांक सहित (RTGS/NIFT की रसीद,UTR नम्बर, बैंक का नाम व ब्रांच का पता व दिनांक सहित) 05 प्रतियों में मूल में इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

<table>
<tr><th>Sl.n</th><th>Condition</th><th>Status of Complacence</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Legal status of the forest land shall remain unchanged.</td><td>वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 2.00 ha. degraded forest land in village-Vijaipur. Compartment no. 3. Dadarkala, Range-Lalganj. District-Mirzapur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग, मीरजापुर द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के लालगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम–विजयपुर, बीट–विजयपुर, जिला–मीरजापुर में 2.00 हे0 अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षो का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मेानो कल्चर को टाला जायेगा।
<table>
<tr><th>क सं</th><th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>बीट का नाम</th><th>क0न0</th><th>अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>लालगंज</td><td>विजयपुर</td><td>विजयपुर</td><td>क0न0–3 दादरकला</td><td>2.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>The cost of compensatory a forestation at the prevailing wage rates as per compensatory a forestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 2.00 अवनत वन भूमि पर वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक प्रॉक्कलित धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) मु0 3,19,691.00 (तीन लाख उन्नीस हजार छः सौ इक्यानबे रूपये) की वांछित धनराशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से (https:// Parivesh .nic.in) उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।</td></tr>
</table>

9

4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 0.7070 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक (30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2018 and 09-05-2008 in IA no. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter no. 5-1/1998-FC-(PT) dated 03-10-2006 and letter no. 5-2/2007-FC dated 05-02-2009) के अनुसार पाइप लाइन बिछाये जाने से मीरजापुर वन प्रभाग की प्रभावित 0.4374 हे0 आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3/2011– एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 एवं दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्गत संशोधित NPV के आदेश के पैरा 4(vii) में उल्लिखित शर्तो के अनुसार– **1– 4 ईंच व्यास के ऊपर भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.7070 हे0।** **2–4 ईंच व्यास से कम भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.024 हे0 ।** इको क्लास (III) खुला वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित (NPV) नेट प्रेजेन्ट वैल्यू 957780.00 रू0 प्रति हे0 की दर से 957780.00 X 0.7070 हे0= 6,77,150.00 (छः लाख सतहत्तर हजार एक सौ पचास रूपये मात्र) की वांछित धनराशि कैम्पा मद में ई– पोर्टल के माध्यम से *e-portal (https//:parivesh.nic.in)* उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि यदि इस अवधि में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि एन0पी0वी0 दर संशोधित होती है, तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी को जमा करना होगा।
6	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है।
7	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त कर पूर्ण अनुपालन किया जाय।
8	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेयजल पाइप लाइन को जमीन से 1.5 मीटर नीचे बिछाया जायेगा और पाइन लाइन डालने के बाद जमीन को समतल किया जायेगा।
9	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (Environmental Protection Act,1986) के तहत् यदि आवश्यक हो पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
10	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना नही बदला जायेगा।
11	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि पाइन लाइन बिछाने के दौरान पाइप लाइन में कार्यरत श्रमिको का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाय।
12	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पाइप लाइन में कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन, उ0प्र0 वन निगम या अन्य कानूनी श्रोतो से ईंधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाय। सर्वे सीमांकन, आर0सी0सी0 पीलर का प्रॉक्कलन मु0 3,32,668.00 (तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ अडसठ रूपये मात्र) संलग्न है।
14	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस अनुमोदन के तहत् डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना के जीवन के पक्ष में लीज की अवधि के साथ सह–टर्मिनस होगी (डायवर्जन की अवधि लीज की अवधि के साथ समाप्त हो जायेगी), जो भी कम हो।

16	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा।
17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित पाइप लाइन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नही किया जायेगा।
18	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	डायवर्ट किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल सी0ए0 क्षेत्र , प्रस्तावित एस0एम0पी0 कार्य, प्रस्तावित कैच मेंट एरिया, ट्रीटमेंट एरिया, WLMP क्षेत्र को कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक विवरणो के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
19	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	एफ0सी0ए0 दिशा निर्देशो के खण्ड 11.2 के अनुसार पेड़ काटने और काम शुरू करने के लिये रैखिक परियोजनाओं के मामले में अस्थायी कार्य अनुमति का कोई भी नोडल अधिकारी और भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचित किया जायेगा। अस्थायी कार्य अनुमति के आदेश को परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। जिसकी निगरानी नोडल अधिकारी द्वारा कड़ाई से की जायेगी और सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी अनुमति के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी अनुमति के तहत् आगे कोई गतिविधि नही की जायेगी।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तद्नुसार MoEF & CC Guidline F.no. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा संरक्षण और विकास के लिये समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
22	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal https:parivesh.nic.in/.*	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से *(e-portal https://parivesh.nic.in* उत्पन्न ई–चालान 'CAMPA' मद में स्थानान्तरित /जमा की जायेगी।
23	The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in)*	उपरोक्त शर्तो/प्रतिबंधो का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या ई–पोर्टल *(https://parivesh.nic.in* पर अपलोड की जाय।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत् दाँती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाईपलाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे0 अर्थात् कुल 0.7694 हे0 आरक्षित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉक्कलन

कुल वन सीमा सर्वे कार्य – 10.00 किमी0
सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु चिन्हांकन –20 सीमा स्तम्भ
इन्डीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन – 20 इंडिकेटर

क0 सं0	कार्य विवरण					
1	सर्वे कार्य	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूची दर
2	सीमा स्तम्भ एवं इडिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन	प्र0चैन	500	6.60	[illegible]300.00	
		प्रति	40	1.48	59.20	
				योग	3359.20	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना

क0 सं0	कार्य का नाम	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई /गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	पी0डब्लू0डी0 अनुसूची दर
1	नींव का खुदान ,सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु पहाड़ी / पथरीला	20	0.50	0.50	0.50	3	घ0मी0	110	275.00	252
2	1:2:4 सीमेन्ट बालू 2एम0एम0पत्थर गिट्टी से कंकरिटींग कार्य	20	0.50	0.50	0.60	3.00	घ0मी0	6400	19200.00	282
		20	0.433	0.433	0.50	1.88	घ0मी0	6400	12032.00	282
3	1:2:4 सीमेन्ट बालू 20 एम0एम0 गिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	घ0मी0	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्भ हेतु लोहा सरिया का मूल्य	20	0	0	0.15	3	कुन्तल	4500	13500.00	502
5	प्लास्टर कार्य 1:4 सीमेन्ट बालू मसाला से	20x4	0.00	0.25	1.00	20	घ0मी0	128	2560.00	584
		20x1	0.25	0.25	0.00	1.25	घ0मी0	128	160.00	584
6	सीमा स्तम्भ की पुताई सफेद सीमेंट से	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	67	1340.00	662
	इण्डिकेटर	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	
7	सीमा स्तम्भ में लाल–हरा पेंटिग एवं सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को जी0पी0एस0 न0 एवं संख्या लिखवाई कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	-
8	इण्डिकेटर पत्थर का कय मूल्य	20	0.25	0.25	0.70	20	प्रति	825	16500.00	-
9	इण्डिकेटर पत्थर का साइड तक ढुलान कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	56.60	11[illegible].00	-
10	इण्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरबोझ द्वारा साइड से कार्य स्थल तक ढुलान एवं लगाना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	8.20	164.00	-
11	इण्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	4.30	86.00	-
12	अन्य आकस्मिक व्यय					10	प्रति0किमी	160	1600.00	-
	योग								78799.00	
	कुल योग(सर्वे तथा सीमा स्तम्भों की स्थापना का योग)								3359.20	
	सम्पूर्ण योग								82158.20	
	या								82000.00	

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–पी– 202/36–टी–311 लखनऊ दिनांक 16.08.2016 के अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित दर प्रति किमी0 धनराशि मु0–8200.00 रूपये

प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये प्रति किमी0 दर वर्ष 2022–23 के लिये रूपये **14527.00** मात्र (चौदह हजार पॉच सौ सत्ताइस रूपये)
कुल लम्बाई= 11.450 किमी0 × 2= 22.900 किमी0
कुल धनराशि = **22.900** किमी0 **x** रू0 **14,527.00 = 3,32,668.00** (तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ अढसठ रूपये मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर